

27/9/22

आज यह पत्रावली मूल वाउ में साक्ष्य पत्रा दुये
मूल वाउ में window आधार पर खाति किया
जा चुका है अतः इस प्रकार से नोटे कार्यवाही
अपेक्षा नहीं रह गयी है। प्रकृत की कार्यवाही इसी
स्तार पर ही चली जाकर प्रारंभ खाति किया
जावा है तथा न्यायालय को राजाजी अस्मारे निर्दिष्ट
दिनांक 23/08/22 को निरस्त किया जाता है प्रकृत
प्रकृत में सुमय होकर मूल वाउ मिलान की

सुनीता

सुनीता



राजे खरवेल

उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर